ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI:UPBIL04292, REG. No.: 561/2013-2014 Vol.-1, No.-1, PP-93-96,YEAR-2013

बीड़ी उद्योग में लगे फर्रूखाबाद व कन्नौज जिलों के बाल श्रमिकों की समस्यायें

❑ डॉ0 संजय सिंह

भारतीय समाज कल्याणकारी राज्य के रूप में नियमित एवं निर्देशित हो। आज के बालक कल का भविष्य हो। अतः बाल श्रम के होते सबल और सम्पन्न राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। साथ ही बाल श्रम समाज के लिए कलंक एवं अभिशाप है।

यू0पी0 डैस्को (अप्रैल 1997) में फर्रुखाबाद तथा कन्नौज जिलो में बीड़ी उद्योग में लगे श्रमिकों और उनके परिवारों का सर्वेक्षण किया तो पता चला कि "यहाँ बीड़ी उद्योग में लगे हजारों असंगठित बाल श्रमिकों की कार्यकारी दशाएं जोखिम है, जो न्यून मजदूरी पर स्वास्थ्य के लिए हॉनिकारक परिस्थितियों में उस पर्यावरण में काम करते हैं, जिससे भाँति–भाँति की बीमारियाँ दमा, खाँसी, क्षय हो जाती है और धूम्रपान जैसों बुरी आदतों का शिकार हो जाते है, जिसका मूल कारण परिवारों में व्याप्त आर्थिक तंगी होना है इन जनपदों में बाल श्रम को रोकने के लिए बाल श्रम विद्यालय की स्थापना की जाये।

हमारी राष्ट्र और राज्य सरकारें बाल श्रम उन्मूलन के लिए प्रयासरत है, परन्तु वैद्याानिक तौर पर निषिद्ध होते हुए भी बाल श्रम चोरी छिपे खूब कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश मे फर्रुखाबाद तथा कन्नौज के बीड़ी उद्योग, अलीगढ़ में ताला उद्योग, तमिलनाडु में माचिस बनाने की फैक्ट्रियों में, आगरा में चमड़ा–जूता उद्योग में जयपुर में पत्थर खादानों में लाखों बच्चे भाँति–भाँति के कार्यों में संलग्न है, जो निर्धनता तथा बेराजगारी के कारण कोयले के धुंऐ के अंधेरे, काँच की भट्टियों, घनी मलिन बस्तियों, खतरनाक तथा जोखिम भरी परिस्थितियों में दिनभर काम करते है, बदले में उन्हें अल्प वेतन दिया जाता है। विभिन्न उद्योग मालिकों के द्वारा बाल श्रमिकों का शोषण तथा उत्पीड़न किया जाता है।

बाल श्रम के अभिशाप से प्रभावित बच्चे खून की कमी, कम दिखाई देना, क्षय रोग, चोरी, तस्करी, आवारागर्दी आदि में अज्ञानता के कारण फंस जाते हैं। जिससे वे सामाजिक अलगाव अनुभव करते हैं। बाल श्रम बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि समाज राष्ट्र सभी के लिए अभिशाप है तथा राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी बाधा है।

बाल मजदूरी बच्चों के शोषण के सबसे खतरनाक दृश्यों में एक है। बाल मजदूरी के रूप में बच्चे उन तमाम सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं जिसके सहारे वे अपने अपने भविष्य को सुधार सकते हैं।

"Plants are developed by cultivation and men by education. No entire country can claim to civilised if majority of its people are illiterate."

भारत में बाल श्रमिकों की समस्या अत्यन्त जटिल है, लेकिन यह केवल भारत की समस्या ही नहीं है अपितु विश्व भर में बालश्रम एक अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की समाजिक समस्या तथा चुनौती के रूप मे उभरी है, अतः इसके निराकरण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से समाज की है।

"बीड़ी उद्योग में कार्यरत बाल श्रमिकों की समस्याओं का समाज शास्त्रीय अध्ययन" (फर्रुखाबाद एवं कन्नौज जनपदों के विशेष सन्दर्भ में)– एक निश्चित आयु से कम आयु का बालक जब श्रम करके अपना भरण–पोषण करता है, तो वह बाल श्रमिक कहलाता है दूसरे शब्दों मे यह कह सकते हैं। चौदह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जो स्वेच्छा से या सामाजिक आर्थिक दबाव के कारण किसी लाभकारी कार्य या व्यवसाय में संलग्न कर दिया जाता

एसोसिएट प्रोफेसर,– विभागाध्यक्ष समाज षास्त्र विभाग, हिन्दू कॉलेज मुरादाबाद, उ0प्र0

है, वह बाल श्रमिक कहलाता है।

हमारे देश में बाल श्रमिक बड़ी ही दयनीय दशा में है। आज लगभग 1.5 करोड़ बच्चे बंधुआ मजदूर के रूप में कार्यरत हैं। उनकी संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार इन बन्धुआ मजदूरों में आधे से अधिक ने अपने माँ–बाप से ही विरासत में यह स्थिति प्राप्त की है।

वास्तव में हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बाल बन्धुआ मजदूर है। एक अनुमान के अनुसार उनकी संख्या करीब 80 लाख से लेकर एक करोड़ तक है। इनमें 88 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के है।

इनके माँ–बाप ने घनी भू स्वामियों से कर्जा लिया और अदा न करने की स्थिति में उन्हें उन्हें भू स्वामियों का गुलाम बनना पड़ा था। ऐसी स्थिति का पता लगाकर बन्धुआ मजदूर भयभीत से हो गये थे। अतः फिर बन्धुआ मजदूरों का पता लगाकर उन्हें मुक्त कराने की प्रक्रिया वास्तव में अस्तित्वहीन लोगों को इंसान बनानो की प्रक्रिया है।

इसी सन्दर्भ में कविवर ''रविन्द्र नाथ टैगोर'' की पंक्तियाँ उपयुक्त है –

''इन मूठ क्लान और मूक–मुखी लोगों को
हमें सिखानी है, स्वाभिमान की भाषा
उनके निस्तब्ध शुष्क हुए अन्तर में
संचालित करनी है नूतन आशा''

सरकार की तरफ से इन बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराने के प्रयास काफी समय से होते रहे हैं। बालश्रम की समस्या आज के भौतिकवादी युग में प्रजातन्त्र व्यवस्था में भी अपने पैर पसार लिए है। बड़े–बड़े धनी उद्योगपति और अधिकार धनी बनने की होड़ में मानव श्रम का अधिक से अधिक दोहन करने में लगे हैं। वे अपने उत्पादों के तमाम व्यय को घटाने एवं अधिक लाभ कमाने की इच्छा से बच्चों के श्रम का उपयोग करते है। बच्चों से काम कराने में वे उनको मन चाहे समय तक श्रम कराकर कम मजदूरी देते है। बच्चे उनका विरोध भी नहीं कर सकते। बड़े श्रमिक अपने संगठनों के माध्यम से उद्योगपतियों द्वारा शोषण से बचे रहते हैं, लेकिन बालश्रमिक अपने हितों के लिए ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं।

शासन द्वारा ''महानगरों में कराए गए बाल सर्वेक्षण कराने पर पता चला है कि मुम्बई में सर्वाधिक किन्तु अनगिनत बाल श्रमिक है। सहासपुर में 10,000 बाल श्रमिक लकड़ी की नक्कासी के उद्यर्मो में लगे हुए है। वाराणसी में 5,000 बच्चे रेशम की साड़ियाँ बुनने के उद्यर्मों में कार्यरत है। बालश्रमिक को इसलिए अधिक पसन्द किया जाता है, क्योंकि उनका शोषण आसानी से किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जून 1996 में उत्तर प्रदेश सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ की एक टीम ने फिरोजाबाद जनपद के काँच व चूड़ी उद्योग में लगे बाल श्रमिक परिवारों का सर्वेक्षण किया। ''प्रथम सभी परिवारों को बालश्रम के लिए मना किया गया, जबकि सर्वेक्षण में एक लाख परिवारों में 60 हजार बाल श्रमिक पाये गये जो कोयले के घुयें के अंधेरे, काँच की भट्ठियों तथा प्रदूषित पर्यावरण मे काम करते हैं, जिनका मुख्य कारण परिवारों में व्याप्त आर्थिक तंगी, परिवारों का असीमित होना, जीवनयापन के संसाधनों का अभाव होने से दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाना आदि बताया गया।

बालश्रम अधिनियम 1986 श्रम मंत्रालय भारत सरकार ने कारखाना अधिनियम 1948 की असफलता के उपरान्त चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एण्ड रेगूलेशन एक्ट पारित किया। इससे आशा जागृत हुई कि बाल श्रमिकों के भाग्य सुधरेंगे, बालश्रम समाप्त हो जायेगा। परन्तु इसमें राज्य सरकरों या केन्द्र को सीमित रूप से भी किसी प्रकार का उद्देश्योन्मुखी कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं किया। समस्या जस की तस रही, क्योंकि बाल शोषणकर्ताओं ने कानून के प्रावधानों की निडर होकर अवहेलना की, जबकि ऐसे लोगों को प्रावधानों का पालन न करने पर 500 रू0 अर्थदण्ड तथा छः महीने की कठोर सजा का प्रावधान रखा गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनीसेफ में विश्व भर के बच्चों की स्थिति की एक रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट मे भारत के फर्रुखाबाद और कन्नौज में बीड़ी, तम्बाकू उद्योग मे संलग्न हजारों बच्चों की अस्वस्थता

का कारण उक्त खतरनाक उद्यम में लगा होना बताया गया। इस क्षेत्र के गरीब कृषकों और मजदूरों के बच्चे आर्थिक तंगी के कारण बन्धुआ मजदूर बनने को विवश होते हैं। इस निन्दनीय प्रथा का प्रमुख कारण बच्चों की विषम परिवारिक परिस्थितियों के साथ–साथ मालिकों, ठेकेदारों व साहूकारों का लालच होता है। निर्धन माँ–बाप छोटी सी रकम के लिए अपने बच्चों को मालिकों व ठेकेदारों के हाथ बन्धुआ रख देते हैं, जिससे बच्चे शोषण के भयंकर दुष्चक्र में फंसते चले जाते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार जीवन भर की गुलामी के बाद भी कर्ज ज्यों का त्यों रहता है। डेबलपमेंटन फाउन्डेशन नामक संस्था द्वारा हाल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में वहाँ के बच्चों की स्थिति दर्शायी गयी है कि "बाल मजदूरों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव होता है।" उन्हें काम कराने के लिए जेल जैसी शीतल व दुर्गन्ध युक्त कोठरियों में बन्द बीड़ी बनाने का कार्य कराया जाता है। यह बाल मजदूर तीक्ष्ण गन्धवार, गन्दी, बदबूदार और ऐसी जगहों पर काम करते हैं, जो इंसानों के काम करने की दशाओं के बिल्कुल उपयुक्त नहीं हैं। बचपन पूरा होने से पहले ही बड़ा होने के लिए बाध्य यह बच्चे अपनी ताकत और उम्र से कहीं ज्यादा बोझ और जिम्मेदारियाँ उठाते हैं। अगर बच्चे किसी काम के कारण स्कूल नहीं जा पाते तो उसे विकास के लिए खतरनाक माना जाता है। गरीबी के शिकार बच्चे उनके परिवार पेट के खातिर अपनी स्कूली पढ़ाई की बलि चढ़ा देते हैं, क्योंकि कामकाज में समय बर्बाद हो जाता है और उसकी कीमत भी कम होती है। इसके कारण बच्चे जीवन भर अकुशल और कम वेतन वाले बने रहते हैं।

बालश्रम की समस्या निर्धनता, शोषण तथा उत्पीड़न से सम्बन्धित है। विषम परिस्थितियों में बच्चों से उनके माता–पिता, जोखिम भरे कार्यों को कराने हेतु विवश हैं। ऐसे बच्चे नहीं जान पाते कि बचपन कैसा होता है। क्या उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा? काम करके वे पढ़ सकेगें? इस समस्या का पूर्णतः समाधान सम्भव नहीं है, क्योंकि यह एक बहुआयामी समस्या है। कहीं विद्याओं की जरूरत है, तो कहीं सामाजिक कार्यों की। जन–जागरूकता इस समस्या का मुख्य कारक है।

मानव सर्वाधिक बौद्धिक, चिन्तनशील एवं जिज्ञासु प्राणी है। अपनी इसी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण वह समाज में व्याप्त सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करके उनके निराकरण के लिए सजग प्रहरी बनकर प्रयत्नशील रहता है। यहाँ तक कि समस्या से सम्बन्धित ज्ञान का स्पष्टीकरण अतिरिक्त ज्ञान की खोज करना तथा उसका सत्यापन करना, उसके लिए एक जटिल समस्या होती है।

आज बाल श्रमिक समस्या पूरे विश्व के सामने एक चुनौती बनकर खड़ी है। खासकर विकासशील और निर्धन देशों ने बालश्रमिकों के द्वारा बनी वस्तुओं को पूरे अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबन्ध लगा रखा है कि भारत जैसे विकासशील देश के सामने इन कारणों को ज्ञात करके समाज व देश को इस समस्या से निदान दिलाना है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनीसेफ ने 1997 विश्व भर के बच्चों की स्थिति की एक रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट ने भारत के फर्रुखाबाद और कन्नौज में बीड़ी तम्बाकू उद्योग में संलग्न उक्त खतरनाक उद्यम मे लगा होना बताया गया। चूँकि केवल शिक्षा इस समस्या के समाधान का आवश्यक अंग है। अब इस दशा में धीरे–धीरे प्रगति होने लगी है। तम्बाकू तथा बीड़ी उद्योग में लगे बाल श्रमिकों के लिए उन क्षेत्रों में शासन में बाल श्रमिकों विद्यालयों की स्थापनायें की है ताकि जनता में शिक्षा पाने के प्रति जागरूकता जाग्रत हो और वे बच्चों को स्कूल भेजने की दिशा में अभिमुखी हो। इसे दिशा परियोजना नाम दिया गया है। इस परियोजना में शामिल होने से परिवार की आमदनी कम हो जायेगी। उसके प्रारम्भिक विरोध के बावजूद भी राजरानी ने दिशा के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र में नाम लिख लिया। केन्द्र के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद से उसमें बहुत बदलाव आया है। अब वह अधिक प्रसन्न और विश्वास से भरी हुयी लगती है। स्कूल के पिछले वार्षिक समारोह में उसने तीन इनाम जीते थे। इस वर्ष उसे एक औपचारिक स्कूल में दाखिला कराया गया है। उसकी सफलता से माता–पिता को यह समझ आ गया कि स्कूल की पढ़ाई महत्वपूर्ण है और अब उसके छोटे भाईयों को भी स्कूल में दाखिला करा लिया गया है।

विभिन्न स्वैच्छिक (गैर सरकारी) संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण भी इस दिशा में सक्रिय है। विभिन्न देशों खासकर उन देशों की सरकारें भी इस दिशा में काम कर रही है। जिन्होंने बाल अधिकार समझौते को अनुमोदन किया है और शोषक मजदूरी से संरक्षण प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हुए है उदाहरण के लिए सन 1995 में नयी दिल्ली में गुटनिरपेक्ष देशो के श्रम मंत्रियो ने शोषण बाल मजदूरी को "नैतिक अपमान" बताते हुए इसके पूर्ण उन्मूलन को अपनी "तात्कालीन प्राथमिकता" बनाने का संकल्प किया।

यूनिसेफ भी शोषक बाल मजदूरी की तत्काल समाप्ति की हिमायत करता है ताकि इस दशक के अन्त तक दुनिया को इस अपराध से मुक्ति मिल जाये।

तम्बाकू पीने का रिवाज कितने प्राचीन समय से चला आ रहा है। यह पता लगाना कठिन है कि कब और कहाँ से आरम्भ हुआ जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है तम्बाकू का आयात सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा अमेरिका से सत्रहवीं शताब्दी से आरभ हुआ। आजकल तम्बाकू का प्रयोग हुक्का, सिगार, सिगरेट, बीड़ी, खैनी तम्बाकू और सूंघने के रूप में होता है। तम्बाकू बीड़ी पीने के दुष्प्रभावों को जैविक तथा आर्थिक समाज में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैविक प्रभावों के अंतर्गत फेफड़े खराब हो जाना, फेफड़े का कैंसर, दिल की बीमारियाँ, रक्तचाप से सम्बन्ध बीमारियाँ, दिमाग की नसे फट जाना, आँखों की कमजोरी सूंघने और चखने की शक्तियों का नाश, गुस्सा आना, पेट में दिक्कत जैसे चित्त में व्याकुलता, खांसी आना, गला खराब होना, मुँह का कैंसर आदि प्रमुख समस्यायें है। आर्थिक एवं सामाजिक प्रभावों के अंतर्गत पैसे की बर्बादी, काम में व्यवधान पैदा होना, कार्य की क्षमता में कमी, जिंदगी कम हो जाना, आदतें खराब हो जाना जैसे जुआ, शराब और समाज के उन स्थानों कसे सम्बन्ध रखना जो उचित नहीं है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बालश्रम किसी क्षेत्र, समाज एवं राष्ट्र के विकास में बाधक नहीं नैतिक दृष्टि से समाज के लिए अभिशाप है जिसका समाधान आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य है क्योकि बालश्रम के कारण अनेक प्रतिभावान बालको की प्रतिभायें अवरूद्ध हो जाती है। आर्थिक विषमता के कारण बेरोजगारी, निर्धनता तथा आर्थिक तंगी के शिकार परिवार अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बच्चो से मजदूरी कराने में विवश होते है।

राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का दायित्व है कि बालश्रम निषेध हेतु कानूनों का निर्माण करके उन्हें कड़ाई के साथ पालन कराया जाय और दोषियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल पी.एन.: दि रिपोर्ट ऑफ कांसिल चाइल्ड बेलफेयर, नई दिल्ली, ऑन "चाइल्ड लेबर प्रोब्लम कॉलेज एण्ड रिस्पान्सबिल्टी मार्च–अप्रैल 1998 पृ0 17.
2. अग्रवाल एस.पी. : डिसीज प्रोफाइल ऑफ चाइल्ड वर्कर ऑफ बीड़ी टुबैको ऑफ गुरसहायगंज, रिपोर्ट ऑफ दी सर्वे टीम आफ जी.एफ वी. मेडिकल कालेज, कानपुर 1996–97 पृ 20.
3. आहूजा श्रीराम : सामाजिक समस्याएं : बाल व्यवहार तथा बालश्रम रावत प्रकाशन, जयपुर (प्रथम संस्कारण) राजस्थान 1994 पृ 220.
4. अग्रवाल भरत : भारतीय समाज, मनमोहनदास पुस्तक प्रकाशन, भरतपुर (राजस्थान)।
5. खातून के.के. : भारत में श्रम विभाजन एवं सामाजिक सुरक्षा साहित्य भवन, आगरा, 1984.

*****